

मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में त्वरित सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधियोग का आवंटन

268. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौरीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में त्वरित सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) नौरीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से गुजरात मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के लिए स्वीकृत की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से कितनी धनराशि मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) माननीय संसद सदस्य संभवतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) में शामिल सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। त्वरित सिंचाई लाभ परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) वर्ष दर वर्ष आधार पर दी जाती है और प्रत्येक वर्ष के लिए प्रस्ताविक कुल सहायता राशि का पता सामान्यतः आम बजट प्रस्तुत करने के बाद चलता है।

(ख) राज्य सरकारों ने अपनी सिंचाई परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता का लाभ उठाने के लिए अपने प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS SET FOR THE 27TH MAY, 1998

जैन आयोग

*1. श्री जनार्दन यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी हत्या के षड्यंत्र की जांच करने के लिए गठित जैन आयोग को समाप्त कर दिया है;

(ख) क्या आयोग ने षड्यन्त्रकारियोग का पत लगाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य को पूरा करने में आयोग को कितना समय लगा और उस पर कुल कितना खर्च हुआ;

(घ) या इस आयोग में सबसे अधिक समय और धन की खपत हुई; और

(ङ) हत्या के मामलों की जांच के लिए अब तक गठित ऐसे जांच आयोगों के कार्यकाल तथा उन पर हुए खर्च का व्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) आयोग ने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जाएगी तथा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, यह रिपोर्ट, की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संसद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) से (ङ) आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 23.8.1991 से 7.3.1998 तक का समय लगा। जैन जांच आयोग पर कुल 2,81,48,428/- रुपए खर्च किए गए। हाल में, श्रीमती इंदिरा गांधी हत्या काण्ड की जांच के लिए ठक्कर जांच आयोग तथा श्री राजीव गांधी हत्या काण्ड की जांच के लिए वर्मा जांच आयोग का गठन किया गया। ठक्कर जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 20.11.1984 से 27.2.1986 तक का समय लगा तथा वर्मा जांच आयोग को अपनी जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 27.5.1991 से

The sitting of the Rajya Sabha on Wednesday, the 27th May, 1998 was adjourned as a mark of respect to the memory of Shri Gyan Ranjan. Answers to Starred Questions put down in the lists for that day were laid on the Table of the House on Thursday, the 28th May, 1998.